उपचार केंद्र में एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में आपके अधिकारों की सूचना

यदि इस पुस्तिका, या आपके उपचार को समझने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया किसी भी समय स्टाफ से निवेदन करें।

स्वैच्छिक प्रवेश क्या होता है?

स्वैच्छिक प्रवेश तब होता है जब कोई व्यक्ति, स्वेच्छा से, अपने मानसिक रोग का उपचार कराने और इसकी देखरेख किए जाने के लिए उपचार केंद्र में रहता है।

यदि मैं एक स्वैच्छिक रोगी हूँ, तो इसका क्या अर्थ है?

यदि आप अपने मानसिक रोग का उपचार कराने के लिए अपनी खुद की मर्जी से किसी उपचार केंद्र में भर्ती किए गए हैं, तो आप एक स्वैच्छिक रोगी हैं।

आपके पास विस्तृत प्रकार के उपचारों की उपलब्धता होगी, जो इस बारे में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रमाण पर आधारित होते हैं कि आपके मानसिक रोग के लिए सबसे प्रभावी उपचार कौन सा है? उपचार में टॉक थेरेपी, दवा का प्रयोग और अन्य व्यवधान शामिल हो सकते हैं।

उपचार प्रशिक्षित स्वास्थ्य व्यवसायियों द्वारा प्रदान किया जाता है जैसे कि डॉक्टर, नर्स, व्यावसायिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी। ये व्यवसायी पहले से स्वस्थ होने में आपकी मदद करेंगे। आप किसी भी समय आपकी सहायता करने वाले व्यवसायियों के साथ अपने उपचार के बारे में विचार-विमर्श कर सकते/सकती हैं।

यदि आपके मानसिक रोग में सुधार नहीं होता है, आपके स्वास्थ्य को खतरा है और/या आप स्वैच्छिक रोगी बने रहने के योग्य नहीं हैं, तो आपका मूल्यांकन सामुदायिक उपचार आदेश (Community Treatment Order) के लिए किया जा सकता है – जिसके परिणामस्वरूप नियमित अंतरालों पर आपको विशेष उपचार कराने की आवश्यकता होगी, या फिर आपका मूल्यांकन इनपेशेंट उपचार आदेश (Inpatient Treatment Order) के लिए किया जा सकता है - जिसके परिणामस्वरूप आपको किसी समयावधि के लिए उपचार केंद्र में रहने की आवश्यकता होगी।

एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में मेरे क्या अधिकार हैं?

आपको और आपके मनोनीत सहायक व्यक्ति (यदि उचित हो तो) को जितनी जल्दी सम्भव होगा, आपके अधिकारों के विवरण की प्रति प्राप्त होगी।

चिकित्सक या उपचार दल के द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर, कोई व्यक्ति जाँच और उपचार के दौरान आपकी सहायता कर सकता है। यह सहायक व्यक्ति (support person) कोई अभिभावक, मैडिकल एजेंट, रिश्तेदार, देखरेख करने वाला, मित्र या कोई स्वयंसेवी या व्यवसायी सलाहकार हो सकता है।

आपकी चिकित्सा और देखरेख का प्रबंध बहाली पर केंद्रित उपचार और देखभाल की एक योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना को तैयार करने और इसकी समीक्षा करने में आपको और आपके सहायक व्यक्ति (यदि उचित हो तो) को जितना सम्भव हो पाएगा, शामिल किया जाएगा।

यदि आपको अँग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करने में समस्याएँ पेश आती हैं तो आपकी सहायता करने के लिए आप एक दुभाषिए का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

आपके रोग निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में आप किसी दूसरे मनोरोग चिकित्सक से सलाह ले सकते/सकती हैं।

आप किसी भी तरह के उपचार को अस्वीकार कर सकते/सकती हैं, परंतु अपनी चिंताओं के बारे में कृपया स्टाफ से विचार-विमर्श कर लें।

उपचार और देखरेख की आपकी योजना के भाग के रूप में उपचार केंद्र से अवकाश लेने का प्रोत्साहन तथा समर्थन किया जाता है। अवकाश लेने की अपनी ज़रूरतों व योजनाओं के बारे में कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से विचार-विमर्श करें।

जब आप उपचार केंद्र में होते/होती हैं, तो आगंतुक आपसे मिलने आ सकते हैं और आप बाहर के लोगों से बातचीत कर सकते/सकती हैं। आपकी बातचीत में आपको पर्याप्त गोपनीयता मिलेगी परंतु बातचीत, आगंतुक और गोपनीयता हदों और शर्तों के अंतर्गत होती है, जैसे कि मुलाक़ात के समय आदि।

यदि आपके उपचार को लेकर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप किसी भी समय अपने उपचार दल से बात कर सकते/सकती हैं। यदि आप इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हैं कि आपकी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है, तो आप एक औपचारिक शिकायत कर सकते/सकती हैं। इस पुस्तिका में उन सेवाओं के फोन नंबर दिए गए हैं जो सम्भवत: आपके लिए सहायक हो सकती हैं।

आपकी सूचना गोपनीय है परंतु यदि कानूनी तौर पर, सेवाओं के वितरण के लिए या फिर सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो इसका खुलासा किया जा सकता है। आपकी अनुमति के साथ सूचना को किसी रिश्तेदार, देखरेखकर्ता या मित्र के साथ भी साझा किया जा सकता है।

पक्षसमर्थन (Advocacy)

समय-समय पर आपको या आपके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य तंत्र को समझने में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

पीयर वर्कर (Peer Worker)
उपचार केंद्र पर पीयर वर्कर या पीयर विशेषज्ञ मौजूद हो सकते हैं जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया स्टाफ से निवेदन करें। देखभाल करने वालों और परिवारों की मदद करने के लिए एक देखरेखकर्ता सलाहकार (Carer Consultant) भी उपलब्ध हो सकता है।

सामुदायिक आगंतुक योजना (Community Visitor Scheme) एक स्वतंत्र क़ानूनी निकाय है जो अनुमोदित उपचार केंद्रों की जांच करता है और उपचार केंद्रों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए पक्षसमर्थन करता है।
दूरभाष: 08 7425 7802 टोल फ्री: 1800 606 302

सरकारी सलाहकार का कार्यालय (The Office of the Public Advocate) एक स्वतंत्र संस्था है जो मानसिक अक्षमता से ग्रस्त लोगों को सलाह देती है, उनकी सहायता और उनका पक्षसमर्थन करती है।
दूरभाष: 08 8342 8200 टोल फ्री: 1800 066 969

साउथ ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता पक्षसमर्थन एवं शिकायत सेवा (The Disability Advocacy and Complaints Service of South Australia) एक गैर-सरकारी संस्था है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त लोगों का पक्षसमर्थन और उनकी ओर से शिकायत दर्ज करने में उनकी सहायता करती है।
दूरभाष: 08 8297 3500 कंट्री टोल फ्री: 1800 088 325

MALSSA एक गैर-सरकारी संस्था है जो कि मानसिक स्वास्थ्य तंत्र के उपभोक्ताओं का पक्षसमर्थन करती है, विशेषकर उन उपभोक्ताओं का जो अँग्रेज़ी न बोलने वाली और सांस्कृतिक व भाषाई तौर पर भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित होते हैं।
दूरभाष: 08 8351 9500

भाषा के साथ सहायता

दुभाषिया व अनुवाद केंद्र (Interpreting and Translating Centre)
दूरभाष: 08 8226 1990

अनुवाद व दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service)
दूरभाष: 131 450 (राष्ट्रीय)

नेशनल रिले सेवा (National Relay Service)
सुनने और बोलने संबंधी समस्याओं के लिए।
दूरभाष: 133 677 टोल फ्री: 1800 555 677

शिकायतें (Complaints)

उपचार केंद्रों (Treatment Centres) पर वो अधिकारी मौजूद होते हैं जो पूछताछ और शिकायतों में मदद कर सकते हैं। स्टाफ से निवेदन करें कि वे सही व्यक्ति से संपर्क करने में आपकी मदद करें।

मुख्य मनोरोग चिकित्सक (The Chief Psychiatrist) सुरक्षित और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है।
दूरभाष: 08 8226 1091

स्वास्थ्य व सामुदायिक सेवाओं संबंधी शिकायतों का आयुक्त (The Health and Community Services Complaints Commissioner) शिकायतों को हल करने में मदद करता है।
दूरभाष: 08 8226 8666
टोल फ्री: 1800 232 007

© Department of Health and Ageing, Government of South Australia. All rights reserved. Printed June 2012

Government of South Australia
SA Health

अधिकारों का विवरण

Voluntary Admissions

(स्वैच्छिक प्रवेश)

मुख्य मनोरोग चिकित्सक का कार्यालय

HINDI

Government of South Australia
SA Health